राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांकः–बीकेजेड / 2522:80 / ले.आउट / 2022 / हनुमानगढ़ / 3118 दिनांकः– 09/09/2022

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त,
नगर परिषद,
हनुमानगढ़।

विषयः–आवेदक श्रीमती शुकर उबाही पत्नी श्री उम्मेद खान द्वारा चक नंबर 2 केएनजे पत्थर नंबर 110 / 260 (28) किला नंबर 1 / 0253 कुल 1.2650 है0 यानि 12650 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान तकनीकी अनुमोदन बाबत्।

संदर्भः–आपका पत्रांक 1839 दिनांक 25.08.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदक श्रीमती शुकर उबाही पत्नी श्री उम्मेद खान निवासी चक नंबर 2 केएनजे हाल आबाद नई खुंजा, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ की चक नंबर 2 केएनजे पत्थर नंबर 110 / 260 (28) किला नंबर 1 / 0.253, 2 / 0.253, 3 / 0.253, 9 / 1 / 0.0970, 10 / 0.253, 11 / 1 / 0.1120, 12 / 2 / 0.0440 कुल 1.2650 है0 यानि 12650 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान के तकनीकी अनुमोदन बाबत् प्रकरण प्रेषित किया गया हैं। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग हनुमानगढ़ मास्टर प्लान 2035 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ प्रावधानित हैं। परिषद द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग कार्यालय के पत्रांक 851 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा स्वीकृत योजना की 30 फीट चौडी सडक से प्राप्त हो रहा है, उल्लेखिनीय है कि आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में इस कार्यालय के पत्रांक 3047 दिनांक 30.08.2022 द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना की 40 फीट सडकों से भी पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है एवं आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 16'–6'' चौडा राजस्व रास्ता स्थित है, जिसे 60 फीट चौडा प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 136142.88 वर्गफीट बताया गया है, जिसमें आवासीय क्षेत्रफल 69869.37 वर्गफीट (51.32 प्रतिशत), इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 3000.00 वर्गफीट (02.20 प्रतिशत), सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल 6813.75 (05.00 प्रतिशत), पार्क का क्षेत्रफल 6814.50 वर्गफीट (05.01 प्रतिशत) एवं सडक का क्षेत्रफल 49645.26 (36.47 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है। प्रेषित योजना मानचित्र कनिष्ठ अभियंता, सहायक नगर नियोजक व आयुक्त नगर परिषद द्वारा प्रमाणित है।

अतः प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा (A to F) के अन्तर्गत कुल भूमि 136142.88 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की जाती हैः–

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया हैं। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना / आदेश / परिपत्र / दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
2. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग कार्यालय के पत्रांक 851 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा स्वीकृत योजना की 30 फीट चौडी सडक से प्राप्त हो रहा है, उल्लेखिनीय है कि आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में इस कार्यालय के पत्रांक 3047 दिनांक 30.08.2022 द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना की 40 फीट सडकों से भी पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़को के अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
3. प्रस्तुत योजना के पश्चिम दिशा में स्थित 16'–6'' चौडे राजस्व रास्ते के मध्य से 30 फीट–30 फीट दोनों ओर कुल 60 फीट चौडी सडक प्रस्तावित की गई है। उक्त प्रस्तावित सडक की निरन्तरता की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।

9/9/22

सम्पर्क – भूखण्ड सं. 01, गाँधीनगर, लालगढ, बीकानेर – 334001, दूरभाष संख्या 0151–2542102,
ई–मेल आईडी – townplanningbikaner@rediffmail.com

बेटी बचाओ–बेटी पढाओ

4. अनुमोदित योजना मानचित्र में जन सुविधा क्षेत्र/पार्क/सड़क हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार सम्बन्धित स्थानीय निकाय को समर्पित की जानी होगी।
5. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 7.02 अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण सुविधा क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।
6. अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाऊनशिप पॉलिसी–2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य मे विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों अनुसार किया जावेगा।
7. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर परिषद को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
8. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डो पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
9. योजना में स्वीकृत इनफोर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशीप पालिसी 2010 के प्रावधानो के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 अनुसार किया जावें।
10. योजना क्षेत्र यदि विधुत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम–2020 के निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित हैं।
11. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नही है, की सुनिश्चिता निकाय द्वारा की जावे।
12. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद–विवाद व भू–स्वामित्व की जॉच, आवेदित भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि अथवा राजकीय भूमि का भाग प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
13. इस कार्यालय द्वारा ले–आऊट प्लान का केवल तकनीकी अनुमोदन कर भिजवाया जा रहा है। अतः उक्त प्रकरण के क्रियान्वयन से पूर्व नए 90 ए के नियमों के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक कार्यवाही शेष है तो उसकी सुनिश्चितता तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.01.2017 को गुलाब कोठारी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार की सिविल रिट संख्या 1554/2004 के आदेशानुसार किसी प्रकार की विधिक रोक न होने की सुनिश्चितता निकाय स्तर से की जानी आवश्यक होगी।
14. प्रस्तर से की जानी आवश्यक होगी। आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक मौके पर सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावें एवं यदि इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र व खसरा ट्रेस के अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावें।

उक्त राय निकाय से प्राप्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रदान की गई है।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र की दो प्रतियाँ

भवदीय,

9/9/[illegible]

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

3rd 45th

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांक :– 4818 दिनांक :– 04-11-2022

एम्पावर्ड कमेटी बैठक

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय एवं श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव महोदय, नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/2021/68664–69454 दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान –2021 में प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सपठित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194 (194 की उपधारा (7), के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर), 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अंतर्गत नगरपालिका मण्डल को प्रदत शक्तियों एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई एवंम् नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/जयपुर दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 3 के द्वारा स्थानीय स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन के नियम 2010 के नियम 6 में स्थानीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को मास्टर प्लॉन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुरूप पट्टा शुद्धा भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन करने के अधिकार दिये गये है। अभियान अवधि में निकायो की एम्पावर्ड समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी है।

अतः जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2021 एवंम् नगरपरिषद हनुमानगढ के कार्यालय आदेश कमांक एफ.8(भूमि) (PSKSA-2021)/2021/13593 दिनांक 12.10.2021 के अनुसार आज दिनांक 04.11.2022 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए।

- माननीय सभापति नगरपरिषद हनुमानगढ़ – अध्यक्ष
- आयुक्त, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ – सदस्य सचिव
- अधिशाषी अभियन्ता, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ – सदस्य
- सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ – सदस्य
- लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ –विशेष आमंत्रित सदस्य
- विधिक सलाहकार, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ –विशेष आमंत्रित सदस्य

कमेटी के समक्ष निम्न प्रकार से प्रकरण विचार एवं निर्णय हेतु रखे गये –

बिन्दू सं. 01 :– खांचा भूमि आवंटन पर विचार विमर्श एवं निर्णय :– सदस्य सचिव द्वारा कमेटी को अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अंतर्गत श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय एवं श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव महोदय, नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021/मं.मं.ज्ञा. दिनांक 28.09.2021 के द्वारा खांचा भूमि आवंटन की शक्तियां एवं नगरीय निकाय स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गयी है। अभियान के अन्तर्गत 150 वर्गगज तक खांचा भूमि नियमानुसार आवंटन की जा सकती है। नगरपरिषद द्वारा पत्रांक 13975 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा खांचा भूमि के ऐसे प्रकरण जिनमें मालिको द्वारा भूखण्डो पर निर्माण कर लिया गया है जो स्वतंत्र भूखण्ड की श्रेणी में नही आते

1/11

है ऐसे प्रकरणो में खांचा भूमि आवंटन के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया था जिस पर निदेशालय द्वारा अपने पत्र 23012 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 28.09.2021 के बिन्दू संख्या 23 में खांचा भूमि के दिये गये संशोधित प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जावें। खांचा भूमि के निम्न प्रकरण समिति के समक्ष निर्णय हेतु पेश है :–

क्र.सं.	नाम / पिता / पति का नाम	सेक्टर नं0	भूखण्ड / दुकान सं0	आवंटित की जाने वाली खांचा भूमि का साईज	आवासीय / वाणिज्यिक
1.	श्री धनराज जांगिड / श्री मनीराम	सेक्टर नं. 11–बी, हनुज0	77	20'x64'	आवासीय
2.	श्री अशोक कुमार / श्री बाबूराम	मिनि सचिवालय ऐरिया, हनुज0	I-12	7'x89' (पश्चिमी दिशा)	आवासीय
3.	श्री शंकर लाल / श्री अशोक कुमार	मिनि सचिवालय ऐरिया, हनुज0	C-26	14'x69' (पश्चिमी दिशा)	आवासीय
4.	श्री मोहम्मद रिजवान / मोहम्मद कलीमुद्दीन	सेक्टर नं. 12 एल, हनुज0	162	6'x45' (पूर्व दिशा)	आवासीय
5.	श्री बहादुर दत्त पुत्र कन्हैया लाल शर्मा	सेक्टर नं. 6 एल, हनुज0	C-102	04'x60'	आवासीय
		पूर्व में एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 23.09.2022 में साईज सहवन से 5 गुणा 60 फीट अंकित किया गया था जबकि वास्तविक साईज 4 गुणा 60 फीट है।			

निर्णय :– सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि प्रकरणो में निदेशालय के पत्र क्रमांक 23012–23021 दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या 03 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 23 में खांचा भूमि में दिये गये संशोधित प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जावें, इससे पूर्व 07 दिवसीय सार्वजनिक आपत्ति सूचना आवेदक के खर्चे पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जावें। आपत्ति प्राप्त नही होने की दशा में नियमानुसार राशि वसूल कर खांचा भूमि आवंटित की जावें।

बिन्दू सं. 02 :– ले–आउट प्लॉन अनुमोदन करने बाबत् विचार विमर्श एवं निर्णय :– सदस्य सचिव द्वारा कमेटी को अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 में मानचित्र अनुमोदन एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया है। एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष निम्नप्रकार से प्रस्तुत किये गये है :–

क.स.	खातेदार का नाम व पता	भूमि का विवरण	डीटीपी, डीएलबी जयपुर के पत्रांक व दिनांक	प्रयोजन
1	श्री उम्मेदखां पुत्र श्री शेखमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक नं. 2 केएनजे तहसील व जिला हनुमानगढ	चक नं. 2 केएनजे पत्थर नं. 110/260 (28) किला नं. 8/0.253, 9/2/0.1560, 11/2/0.1410, 12/1/0.2090, 13/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/0.253 कुल 1.7710 हैक्टयर भूमि	3047 दिनांक 30.08.2022	आवासीय

2/11

2	श्रीमती शुकर उवाही पत्नी श्री उम्मेद खान निवासी हनुमानगढ जंक्शन	चक नं. 2 केएनजे पत्थर नं. 110/260 (28) किला नं. 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253, 9/1/0.0970, [illegible]/0.253, 11/1/0.1120, 12/2/[illegible] कुल 1.2650 हैक्टयर भूमि	3118 दिनांक 09.09.2022	आवासीय
3	दी फान्सीसकन क्लेरिस्ट कोरग्रीगेशन मानन्धाबाडी, हनुमानगढ	चक नं. 3 केएनजे पत्थर नं. 121/260 किला नं. 19/1/0.069 कुल 0.575 हैक्टयर यानि 5624.31 वर्गमीटर भूमि	3130 दिनांक 12.09.2022	आवासीय

निर्णय :–समिति द्वारा पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्त प्रकरणों में प्राप्त शर्तो के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदित किया जाता है जिसके तहत शर्तो की पालना करने हेतु खातेदारों से शपथ पत्र लिया जावें। बिन्दु संख्या 1 मे वर्णित प्रकरण में रास्ते हेतु भूखण्डो का समर्पण किया गया है उन भूखण्डो के पट्टे समर्पण करता के नाम से जारी करवाते हुए रास्ते हेतु भूखण्डो का बैयनामा नगरपरिषद के हक में करवाया जावें। उक्त योजना की नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर नियमानुसार शुल्क वसूल कर भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की जावें।

बिन्दू सं. 03 :– लीज होल्ड से फ्री–होल्ड पट्टा–विलेख जारी करने बाबत् विचार विमर्श एवं निर्णय :– सदस्य सचिव द्वारा कमेटी को अवगत करवाया कि अभियान के अन्तर्गत निम्न नीचे वर्णित आवेदको द्वारा प्रार्थना–पत्र लीजडीड, बैयनामा प्रस्तुत कर लीज होल्ड पटटे के स्थान पर फ्री–होल्ड पट्टे की मांग की गई जिनका विवरण निम्नप्रकार से है :–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण
1.	श्री राजेन्द्र सिंह व श्री सुमित सिंह पि0 श्री मेवा सिंह	सेक्टर नं. 12/3, भूखण्ड संख्या 20 साईज 30 गुणा 90 फीट पूर्वी हिस्सा, हनुज0
2.	श्री हेमराज बंसल व विपिन कुमार पिसरान श्री मथुरादास बंसल	सेक्टर नं. 12/4, भूखण्ड संख्या 80 साईज 52 गुणा 80 फीट, हनुज0
3.	श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री बृजलाल	धानमण्डी, भूखण्ड संख्या 239 साईज 30 गुणा 90 फीट, हनुज0
4.	श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री बृजलाल	धानमण्डी, भूखण्ड संख्या 15 साईज 15 गुणा 90 फीट पूर्वी हिस्सा, हनुज0
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओंकार राम	नई धानमण्डी, भूखण्ड संख्या 221 साईज 15 गुणा 90 फीट उत्तरी हिस्सा, हनुज0
6.	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री तुलसीराम	सेक्टर नं. 12/5, भूखण्ड संख्या 243 साईज 15 गुणा 60 फीट उत्तरी हिस्सा, हनुज0
7.	श्री योगेश कुमार पुत्र लेखराज	सेक्टर नं. 12/5, भूखण्ड संख्या 243 साईज 15 गुणा 60 फीट दक्षिणी हिस्सा, हनुज0
8.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री ओंकार राम	नई धानमण्डी, भूखण्ड संख्या 168 साईज 30 गुणा 90 फीट, हनुज0
9.	श्री प्रणव सोनी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार व श्री हीरालाल पुत्र श्री राधेश्याम	भगत सिंह चौक से हनुमानगढ टाउन रोड पर खुलती हुई नजदीक राजीव चौक, दुकान संख्या 125 साईज 10 गुणा 30 फीट, हनुज0
10.	श्रीमती सत्यमामा पत्नी श्री श्यामलाल	दुर्गा कॉलोनी, भूखण्ड साईज 1472.81 वर्गफीट, हनुज0
11.	श्री ऋषि खदरिया पुत्र श्री दीनदयाल	दुर्गा कॉलोनी, भूखण्ड साईज 1472.82 वर्गफीट, हनुज0
12	श्री रमजान खां पुत्र श्री दुरी मोहम्मद	सेक्टर नं. 12/एल, भूखण्ड संख्या 16 साईज 24 गुणा 45 फीट, हनुज0
13.	श्रीमती मंजू पत्नी श्री महावीर प्रसाद	आईडीएसएमटी योजना, भूखण्ड संख्या 77 साईज 30 गुणा 32 फीट, उत्तरी हिस्सा बिना कॉर्नर, हनुज0
14.	श्रीमती नीलम स्वामी पत्नी श्री विजय कुमार	आईडीएसएमटी योजना, भूखण्ड संख्या 77 साईज 30 गुणा 32

36	कविता/संजय कुमार	c-03	64.28	गणपति स्टेट	23.08.2022
37	रीटा/साजन कुमार	47	20x46	गणपति स्टेट	24.08.2022
38	वीरपाल कौर/गुरजीत सिंह	26	30x50	गणपति स्टेट	24.08.2022
39	हरविन्द्र सिंह/स्वर्ण सिंह	23	25x40	गणपति स्टेट	24.08.2022
40	किरणा देवी/बाबूलाल	c-110	25x49	मिनीसचिवालय	29.08.2022
41	प्रेमकुमार/रामेशवरदत्त	9	30x65	रॉयल ग्रीन सिटी	29.08.2022
42	प्रिंयका/संदीप कुमार	r-94,95	25x47.6	दारा सिंह कॉलोनी	31.08.2022
43	शिल्पा/हेमराज	54	25x50	एसआरजी रेजीडेन्सी	31.08.2022
44	सुरजी देवी/रमेश कुमार	91	30x60	से.न.06	31.08.2022
45	गोपीराम/गजूराम	80	22.8x42	से.न.06	31.08.2022

निर्णय :– समिति द्वारा पत्रावलियों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया एवं सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरणो में राशि वसूल कर निर्माण स्वीकृति जारी की जावें।

(सुनील कुमार)
सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(अमित माहेश्वरी)
विधि सलाहकार
एवं विषेष आमंत्रित सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(मालचंद शर्मा)
लेखाधिकारी
एवं विषेष आमंत्रित सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(सुभाषचंद बंसल)
अधिशाषी अभियन्ता एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(पूजा शर्मा)
आयुक्त एवं सदस्य सचिव
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(गणेशराज बंसल)
सभापति एवं अध्यक्ष
नगरपरिषद हनुमानगढ़

11/11

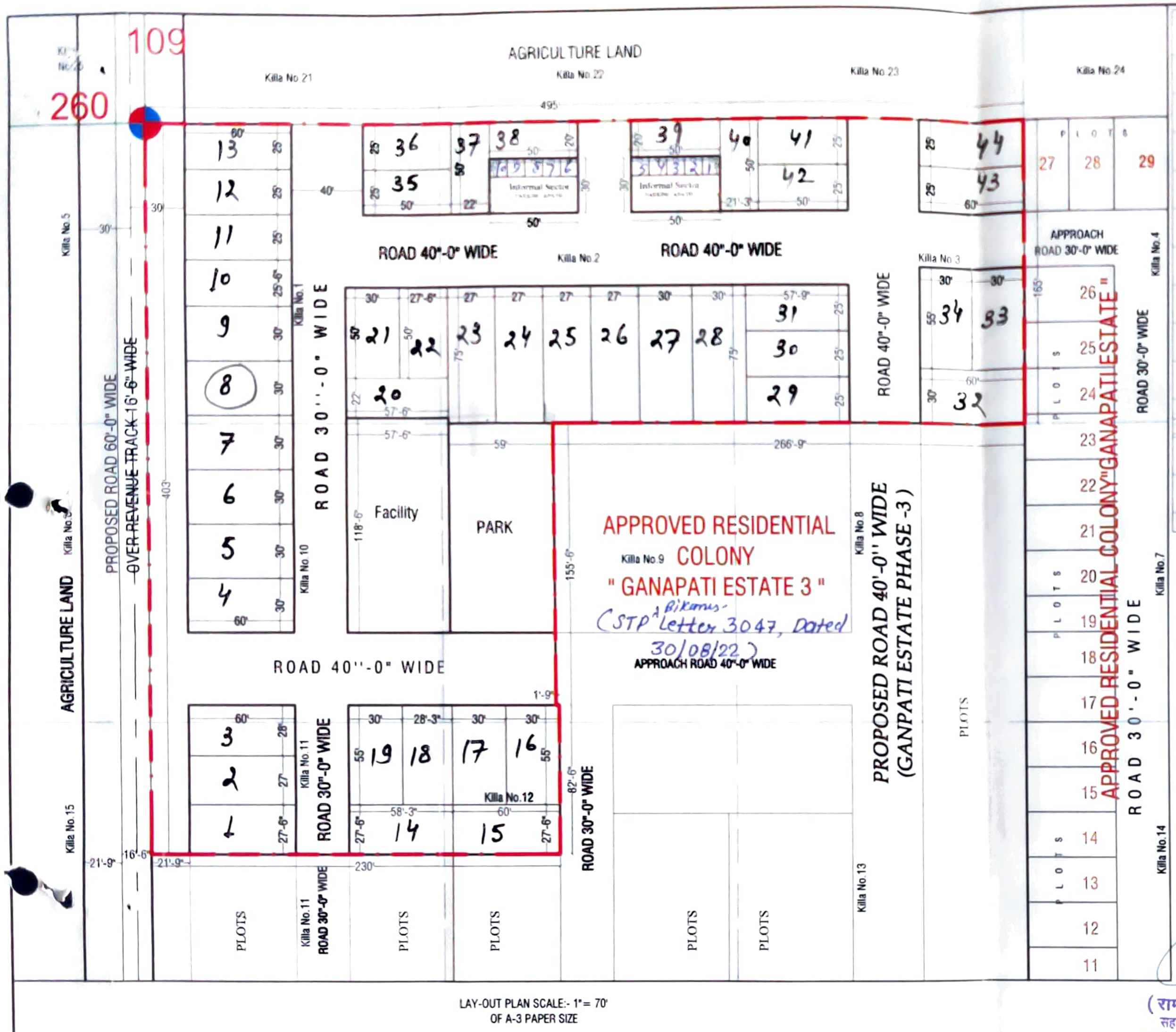

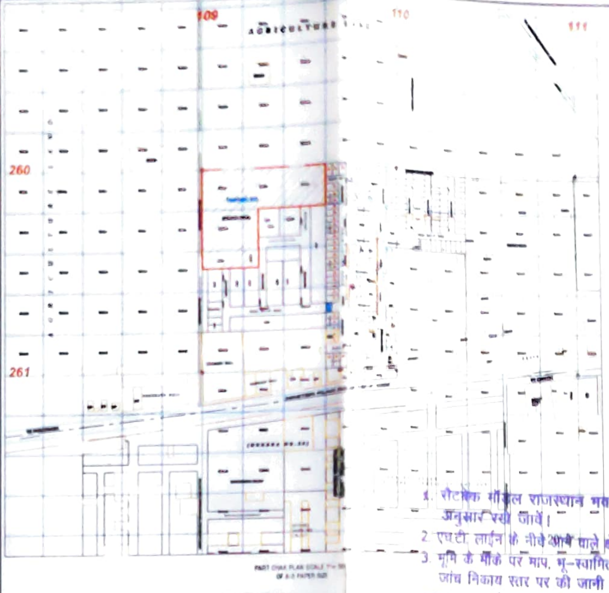

1. सैटबैक मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मौके पर माप, भू-स्वामित्व एवं न्यायिक वाद की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र निकाय में निहित होगें।
5. सुविधा क्षेत्रों का निस्तारण/क्रियान्वयन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार किया जावें।

AREA ANALYSIS

Sr.No.	Use	Area in sq ft.	%age
1	Residential	69869.37	51.32
2	Informal Sector	3000.00	02.20
3	Facility	6813.75	05.00
4	Park	6814.50	05.01
5	Roads & Path	49645.26	36.47
	Total	136142.88	100.00

LAND USE & AREA ANALYSIS CHECKED BY-

LAYOUT PLAN / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 3118 DATED 09/09/2022

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

सहायक नगर नियोजक
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

आयुक्त
नगर परिषद, हनुमानगढ़

OWNER'S LAND AS PER SITE:- 136142.88 SQFT.OR 1.265 HECT.

OWNER'S NAME :- Mrs. Shukar Ubahi w/o Mr. Ummed Khan

LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY "GANAPATI ESTATE PHASE - 4" AT CHAK NO. 2 K.N.J.,STONE NO.110/260,MURBBA NO. 28, KILLA NO. 1(0.253),2(0.253),3(0.253),9/1(0.097),10(0.253),11/1(0.112),12/2(0.044),TOTAL =1.265 HECTARE.AT HANUMANGARH JN., DISTT:- HANUMANGARH (RAJ.)

कार्यालय नगरपरिषद्, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांकः एफ 8 भूमि ( )2022/ दिनांक :

-: कार्यालय आदेश :-

नगरपरिषद् हनुमानगढ के द्वारा चक नं. 2 केएनजे पत्थर नं. 110/260 (28) किला नं. 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253, 9/1/0.0970, 10/0.253, 11/1/0.1120, 12/2/0.0440 कुल 1.265 हैक्टयर यानि 12650 वर्गमीटर भूमि में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ के पत्रांक 3200-3202 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:80/ले.आउट/2022/हनुमानगढ/3118 दिनांक 09.09.2022 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है। परिषद एम्पावर्ड कमेटी बैठक क्रमांक 4618 दिनांक 04.11.2022 द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं निमयन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बावत श्रीमान् वरिष्ट नगर नियोजक विभाग, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:80/ले.आउट/2022/हनुमानगढ/3118 दिनांक 09.09.2022 को मध्य नजर रखते हुए तथा कोलोनाईजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के **भूखण्ड संख्या 11, 12, 13, 32, 36, 41** कुल 06 भूखण्ड परिषद् के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लाट परिषद् द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बावत कोलोनाईजरर्स / खातेदार ने स्वंय को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों, अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तो के साथ जारी किया जाता है :-

1. स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ती व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वंय कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वंय के खर्चे पर करवायें जावेंगें और इस संबंध में परिषद् किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
2. कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा स्वंय के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एंव कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वंय के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
3. श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522:80/ले. आउट/2022/हनुमानगढ/3118 दिनांक 09.09.2022 को मध्य नजर रखते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के **भूखण्ड संख्या 11, 12, 13, 32, 36, 41** कुल 06 भूखण्ड परिषद् के पास रहन रहेंगे। कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा ज्यो-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवायें जावेंगे, परिषद् द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यो के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लाट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेंगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में परिषद् द्वारा रहनशुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवायें जा सकें एवं शर्तो की पालना की जावेंगी।
4. संबंधित कोलोनाईजर/खातेदारों पर 100/- रू. के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरूद्ध बैचान आदि करने पर नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
5. रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 10रू. के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

-sd-
आयुक्त
नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

क्रमांकः एफ 8 भूमि ( ) 2022/ 5471 दिनांक : 23-11-22
प्रतिलिपि -

1. खातेदार/कॉलोनाईजर श्रीमती शुकर उबाही पत्नी श्री उम्मेद खान जाति मुसलमान निवासी चक नं. 2 केएनजे हाल नई खुंजा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. भूमि शाखा, नगरपरिषद् को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त
नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

CS CamScanner

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक : नपह / भूमि (कृषि) / 2023 / 3506 दिनांक: 5/7/23

श्रीमती शुकर उबाही पत्नी श्री उम्मेद खान
जाति मुसलमान
निवासी चक नं. 2 केएनजे हाल नई खुंजा,
हनुमानगढ जंक्शन तहसील
व जिला हनुमानगढ।

विषय : आन्तरिक विकास पेटे रहन रखे गये भूखण्डो को रहन मुक्त करने बाबत्।
प्रसंग : आप द्वारा गणपति एस्टेट (फेज चतुर्थ) के भूखण्ड रहन मुक्त करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ मे।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आपके स्वामित्व की भूमि चक नं. 2 केएनजे पत्थर नं. 110 / 260 (28) किला नं. 1 / 0.253,2 / 0.253, 3 / 0.253,9 / 1 / 0.0970, 10 / 0.253, 11 / 1 / 0.1120, 12 / 2 / 0.0440 कुल 1.265 हैक्टयर यानि 12650 वर्गमीटर भूमि का ले–आउट प्लान स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत प्लान में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5471–5472 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा अधिवास प्रमाण–पत्र जारी किया गया था। उक्त आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 11, 12, 13, 32, 36 व 41 कुल 06 भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्यो पेटे रहन किये गये थे। नगरपरिषद कनिष्ठ अभियंता की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर रहन किये गये भूखण्ड संख्या 11, 12, 13, 32, 36 व 41 कुल 06 भूखण्डों को रहन मुक्त किया जाता है।

आयुक्त
नगरपरिषद् हनुमानगढ

Rehanmukt plot 32